इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

कार्यालय : 7वां एवं 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

कालिन्दीपुरम आवास योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

आवेदन/पंजीकरण तिथि 02.08.2018 से दिनांक 24.08.2018 तक

नीलामी तिथि 28.08.2018 समय अपरान्ह 12:30 बजे

स्थल : इन्दिरा भवन स्थित कमेटी कक्ष 8वां तल

कालिन्दीपुरम आवास योजना के व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण

क्र0 सं0	योजना का नाम	भूखण्ड की श्रेणी	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल भूखण्ड की संख्या	न्यूनतम आरक्षित दर प्रति वर्ग मीटर (रू0)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0)	पंजीकरण धनराशि (रू0)
1	कालिन्दीपुरम आ0यो0 (सेक्टर राधाकुण्ड)	पेट्रोल पम्प	650.00	01	62,000.00	4,03,00,000.00	40,30,000.00
		व्यवसायिक भूखण्ड	767.50	01	62,000.00	4,75,85,000.00	47,58,500.00

नियम एवं शर्तें– **1.** भूखण्ड जहां है जैसे के आधार पर आवंटन किया जायेगा। **2.** निविदा सह नीलामीदाता को पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय) फार्म के साथ संलग्न कर पंजीकरण अवधि के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। **3.** निविदा आवेदन–पत्र निर्धारित प्रपत्र में स्वहस्ताक्षरित नियम एवं शर्तों के साथ बन्द लिफाफे में भरकर सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में रखे टेण्डर बाक्स में निर्धारित तिथियों पर पूर्वान्ह 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक डाले जा सकते है जिसको निविदा/नीलामी की निर्धारित तिथि पर नीलामी के उपरान्त खोला जायेगा। **4.** भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकृत उच्चतम बोलीदाता को उच्चतम बोली (दर) के अनुसार कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि सक्षम स्तर से स्वीकृत होने के तत्काल बाद अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा, जिसमें जमा पंजीकरण धनराशि समायोजित हो जायेगी। **5.** बोली में सफल व्यक्ति द्वारा बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह में अवशेष धनराशि न जमा करने पर पंजीकरण शुल्क की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। **6.** अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर 8 तिमाही किस्तों में ब्याज सहित जमा करना होगा। उक्त नियत समयावधि में सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने पर पूर्व से जमा 25 प्रतिशत धनराशि जब्त करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। **7.** आवंटित भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य एक मुश्त भी जमा किया जा सकता है तथा भूखण्ड की रजिस्ट्री कराये जाने के उपरान्त कब्जा दिया जायेगा। **8.** मौके पर भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होने पर तदनुसार ही धनराशि संशोधित की जायेगी। **9.** कार्नर के भूखण्ड पर उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकार होने पर उच्चतम बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा। **10.** आवंटी को भूमि मूल्य के अतिरिक्त नियमानुसार 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क एवं अन्य देय शुल्कों का भुगतान करना होगा। विक्रय विलेख का समस्त व्यय, नगर निगम, जल संस्थान एवं अन्य विभागों के समस्त देयक आवंटी को वहन करना होगा। **11.** आवंटित भूखण्ड का विकास एवं निर्माण प्राधिकरण से नियमानुसार भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करना होगा। **12.** प्राधिकरण/शासन द्वारा समय–समय पर लागू समस्त नियमों का पालन करना होगा। **13.** विवाद की स्थिति में मामने का निस्तारण इलाहाबाद जनपद न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा। **14.** बोली प्रति वर्गमीटर न्यूनतम आरक्षित दर के आधार पर की जायेगी और प्रत्येक बोली का न्यूनतम अन्तर रू0 200.00 होगा। **15.** नीलामी/निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में निहित है। **16.** अन्य नियम एवं शर्तें व्यवसायिक सम्पत्तियों के शासनादेश/वि0प्रा0 के आदेश के अनुसार लागू होंगे। **17.** यदि किसी कारण से सम्पत्तियों के उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में आप द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि नियमानुसार वापस कर दिया जायेगा। **18.** पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क का नगद भुगतान पर किसी भी कार्य दिवस में इन्दिरा भवन के 7वें तल स्थित प्राधिकरण के जनसम्पर्क कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा एवं पूर्ण पंजीकरण फार्म कार्यालय में ही जमा किया जायेगा। **19.** आवेदन–पुस्तिका एवं नियम तथा शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaallahabad.in पर भी उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

पत्रांक : 150/ज0स0अ0/वि0/प्रा0/2018–19, दिनांक : 01.08.2018

अजय कुमार अवस्थी
सचिव

भानु चन्द्र गोस्वामी
उपाध्यक्ष